प्रेस नोट **09/11/2023**

<u>मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 03 अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास व ₹31000 के अर्थदंड से किये गये दंडित–</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ए0डी0जे0–3 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 09–11–2023. को, मु0अ0सं0 377/08 .धारा 34,323,304,325 भादवि थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध अभियुक्तों क्रमशः 1.रामउग्रह मौर्य पुत्र रामपाद मौर्य 2.रामबचन मौर्य पुत्र रामउग्रह मौर्य 3. अखिलेश मौर्य पुत्र राजनाथ मौर्य निवासीगण रसूलपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन सश्रम कारावास की सजा व ₹31000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, जुर्माना न अदा करने पर प्रत्येक को 02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का दण्ड दिया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री नंदलाल भारती, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उपनिरीक्षक सुनील मलिक, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्यामधर यादव थाना दोहरीघाट का सराहनीय योगदान रहा।

आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में विगत 04 महीनों से मऊ पुलिस लगातार प्रथम स्थान पर–

आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण उ0प्र0 शासन एवं मा0 मुख्यमंत्री महोदय लखनऊ, उ0प्र0 की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओ में से एक है। आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्धता के साथ निस्तारण हेतु उच्चाधिकारीगण द्वारा निरन्तर मॉनिटरिंग के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के दिशा निर्देशन में आई0जी0आर0एस0 की रैंकिंग लगातार (जुलाई, अगस्त, सितम्बर व अक्टूबर) चार माह से उत्तर प्रदेश में प्रथम रैंक हासिल हुयी है व माह अगस्त और अक्टूबर में जनपद मऊ के समस्त थानो द्वारा भी आई0जी0आर0एस0 के निस्तारण में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है तथा जनपद मऊ द्वारा जन शिकायतो के प्रार्थना पत्रो के निस्तारण से पाया गया कि आलोच्य माह में अवशेष असंतोषजनक फीडबैक का प्रतिशत मात्र 7.46 प्रतिशत प्राप्त हुआ है जो कि पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियो द्वारा जनता की शिकायतो का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने का द्योतक है। एक आवेदक हरिश्चन्द्र जायसवाल पुत्र राजेन्द्र निवासी थाना कोतवाली जनपद मऊ के निवासी है जिनकी शिकायत दिनांक 03.10.2023 को पुलिस अधीक्षक मऊ के यहा शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र का त्वरित संज्ञान लेते हुये विधिक कार्यवाही कर समस्या का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण दिनांक 04.10.2023 को कर दिया गया। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र पर उच्चाधिकारियों द्वारा फीडबैक लेने पर आवेदक द्वारा उक्त कार्यवाही पर शत–प्रतिशत संतुष्ट फीडबैक दिया गया।

उल्लेखनीय है कि माह अक्टूबर में विभिन्न सन्दर्भो के कुल 1097 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिनमें 941 प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री सन्दर्भ के प्रार्थनापत्र 69 प्राप्त हुए निस्तारण 60, पीजी पोर्टल से प्राप्त 16 निस्तारण 15, पुलिस अधीक्षक सन्दर्भ प्राप्त 444 निस्तारण 357, सीएम हेल्पलाइन प्राप्त 246 निस्तारित 236, मण्डलायुक्त के यहा से 03 प्रार्थनापत्र प्राप्त 03 तथा तीनों का निस्तारण किया गया।

यातायात माह नवम्बर–2023 के क्रम में यातायात नियमों के प्रति जनजागरूकता के क्रम में आज दिनांक 09.11.2023 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन के निर्देशन में यातायात पुलिस टीम मऊ द्वारा अमृत पब्लिक स्कूल के बच्चो और कर्मचारिगण को यातायात नियमों के बारे में विस्तारपूर्वक समझा कर इसका पालन करने तथा इसके फायदे के बारे में बताया गया। इस

दौरान ट्रैफिक पुलिस टीम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय व प्रभारी निरीक्षक यातायात श्याम शंकर पाण्डेय व यातायात उ0नि0 संतोष कुमार यादव, का0 टी0पी0 संजय कुमार यादव, सौरभ यादव, उमाकान्त मौर्या, हो0गा0 विनोद कुमार तथा अमृत पब्लिक स्कूल के संचालक, प्रबन्धक, अध्यापक व बालक एंव बालिकाये सम्मलित रहें।

<u>03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—</u>

आज दिनांक 09.11.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना घोसी पुलिस द्वारा मधुबन मोड़ के पास से मु0अ0सं0 489/23 धारा 376,420,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त पवन चौहान पुत्र रामविलास चौहान निवासी लामी थाना दोहरीघाट तथा बलुआ पोखरा के पास से मु0अ0सं0 505/23 धारा 354 भादवि0 में वांछित अभियुक्त विशाल चौहान पुत्र महेन्द्र चौहान निवासी मुस्कुरा थाना घोसी जनपद मऊ तथा थाना रानीपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 175/23 धारा 354 भादवि0 में वांछित अभियुक्त नितिश गुप्ता पुत्र पन्नालाल निवासी रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>चोरी के 03 मोबाईलफोन के साथ 02 शातिर गिरफ्तार—</u>

थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा दिनांक 08.11.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मतलूपुर मोड़ के पास से मुस्लिम पुत्र स्व0 अनीस अहमद निवासी हमीमपुरा व कन्हैया पुत्र सुनील राम निवासी हकीकतपुरा थाना दक्षिणटोला मऊ के कब्जे से चोरी के 03 मोबाईलफोन बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 137/23 धारा 411,414 भादवि के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायाल किया गया।